न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2021/57

राजस्व वाद संख्या 12/2021

1. मंगल चन्द पुत्र श्री चिमाराम उम्र 23 वर्ष
2. श्रीमती मनभरी पत्नी श्री चिमाराम, उम्र 65 वर्ष

जातियान् मीणा, निवासीयान ग्राम कोटडा पोस्ट दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – वादीगण

बनाम

1. जनसीराम पुत्र श्री नाथूराम, उम्र 46 वर्ष
2. श्रीमती नैना पत्नी श्री नाथूराम, उम्र 70 वर्ष
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री गुल्लाराम, उम्र 56 वर्ष

   जातियान मीणा निवासीयान ग्राम कोटडा पोस्ट दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री श्री गुल्लाराम निवासी–77 गदली की ढाणी, गांव बिहारीपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कोटडा पोस्ट दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजेश दत्तक पुत्र श्री कालूराम उम्र 21 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम कोटडा, पोस्ट दौलतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. जरिए प्रबंधक, केनरा बैंक, शाखा दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. जरिए प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक, तहसील परिसर आमेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–02.09.2022

संक्षेप में वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम कोटडा, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र–बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0300 हैक्टे0, ख0नं0 188 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 193 रकबा 0.1500 हैक्टे0, ख0नं0 296 रकबा 0.0400 हैक्टे0,

ख0नं0 297 रकबा 0.0700 हैक्टे0, ख0नं0 298 रकबा 0.0600 हैक्टे0, ख0नं0 330 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 331 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 337 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 338 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 396 रकबा 1.0000 हैक्टे0, ख0नं0 397 रकबा 0.5600 हैक्टे0, ख0नं0 398 रकबा 0. 7100 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.6500 हैक्टे0, कुल किता 14 रकबा 3. 7100 हैक्टे0 स्थित है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/4 निहित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मनबट के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 सहकृषक है तथा उक्त आराजीयात सहकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमि हैं, जिसका आज दिनांक तक मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 के पिता श्री गुल्लाम का स्वर्गवास दिनांक 06.07.2020 को हो चुका है इस कारण प्रतिवादी सं0 3 व 4 को उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के मध्य कानूनी रूप से आज दिन तक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने विभाजन करवाये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि अन्य को बेचान करने पर आमादा है, जिसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि का बेचान करने से मना किया तब प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादीगण को दिनांक 31.01.2021 को ऐलानियां धमकी दी कि हम वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देगे तथा डामर की सडक के पास जो भूमि है, उस भूमि का हम बेचान कर देंगे व आपको पीछे की भूमि देंगे। इसलिए वादीगण को संयुक्त रूप से काश्त करना दुर्भर हो गया है तथा वादीगण को कानून में अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा करवाकर अपने हिस्से में आई भूमि का अलग से खाता व लगान कायम करवा लेवें तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 पाबंद करवा देवें कि जब तक तकासमा नहीं हो जाता है, तब तक किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करवाये तथा निर्माण नहीं करें एवं करवायें।

दिनांक 31.01.2021 को प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि का तकासमा कराये बिना वादीगण के हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन नींव खोदकर पुख्ता निमार्ण कार्य कर वादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण कार्य करेंगे, ऐसा करने का कोई अधिकारी

प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को कानून में नहीं है तथा वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया देवें कि बिना समक्ष अधिकार की अनुमति बिना वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, निर्माण नहीं करें, वादीगण को बेदखल नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट हितबद्ध व्यक्तियों से करवाये तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को निम्न दादरसियों प्रदान की जावें। उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/8, 1/8 निहित है तथा वादीगण अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/4 पर काबिज है। उसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व कब्जे के आधार पर तकासमा किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वे विवादित आराजी को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, विक्रय नहीं करे, विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करावे, निर्माण नहीं करें। वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 की ओर से श्री उर्मिला शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से एडवोकेट सुशील शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर से श्री बंशीधर जाट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 अनुपस्थित। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान दौलतपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी उभयपक्ष उपस्थित होकर रास्ते की सुनिश्चिता के साथ तकासमा करने का आग्रह किया तथा प्रतिवादी सं0 04 दिव्यांग एवं मानसिक विमंदित अप्रार्थी के प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुई। वाद दावा विभाजन का होने से न्याय हित में वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि वाद अधीन भूमि वाके ग्राम कोटडा, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र–बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0300 हैक्टे0, ख0नं0 188 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 193 रकबा 0.1500 हैक्टे0, ख0नं0 296 रकबा 0.0400 हैक्टे0, ख0नं0 297 रकबा 0.0700 हैक्टे0, ख0नं0 298 रकबा

0.0600 हैक्टे0, ख0नं0 330 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 331 रकबा 0. 0900 हैक्टे0, ख0नं0 337 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 338 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 396 रकबा 1.0000 हैक्टे0, ख0नं0 397 रकबा 0.5600 हैक्टे0, ख0नं0 398 रकबा 0.7100 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.6500 हैक्टे0, कुल किता 14 रकबा 3.7100 हैक्टे0 का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुए 03–03 प्रतियों में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

उक्त आदेश कि पालना में तहसीलदार के पत्र क्रमांक/भू.अ. /2022/3076 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये गये जो दिनांक 03.06.2022 को शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 5 की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रा0 पत्र पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रा0पत्र आपत्ति पर सुना गया। आपत्ति प्रा0 पत्र तथ्यहीन एवं पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। बहस का मनन किया। अतः वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विवादित भूमि ग्राम कोटडा, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र–बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0300 हैक्टे0, ख0नं0 188 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 193 रकबा 0.1500 हैक्टे0, ख0नं0 296 रकबा 0.0400 हैक्टे0, ख0नं0 297 रकबा 0.0700 हैक्टे0, ख0नं0 298 रकबा 0.0600 हैक्टे0, ख0नं0 330 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 331 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 337 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 338 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0नं0 396 रकबा 1. 0000 हैक्टे0, ख0नं0 397 रकबा 0.5600 हैक्टे0, ख0नं0 398 रकबा 0.7100 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.6500 हैक्टे0, कुल किता 14 रकबा 3.7100 हैक्टे0 भूमि का निम्नप्रकार विभाजन किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	जनसीराम पुत्र नाथू 1/4 नैना पत्नी नाथू 1/4 राहिन सिंडीकेंट बैंक दौलतपुरा, राजेश दत्तक पुत्र कालूराम हि. 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास कौम मीणा सा. देह खातेदार	338 331 298 297/2 396/3 397/2	0.09 0.09 0.06 0.02 0.04 0.40		

		398/1 441/3	0.68 0.32		
	कुल	8	1.70		
2.	मंगलचन्द पुत्र चीमाराम मनभरी पत्नी चीमाराम कौम मीणा सा. देह राहिन सिंडीकेट बैंक दौलतपुरा	330 297/1 396/2 397/1 441/2	0.08 0.05 0.40 0.16 0.16		
	किता	5	0.85		
3.	शान्ति पत्नी गुल्लाराम 1/2 सीता देवी पुत्री गुल्लाराम 1/2 कौम मीणा सा. देह खातेदार	337 296 396/1 441/1	0.09 0.04 0.56 0.17		
	किता	4	0.86		
4.	जन्सीराम पुत्र नाथू 1/8 नैना पत्नी नाथू 1/8 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा दौलतपुरा मंगल पुत्र चीमाराम हि. 1/8 मनभर देवी पत्नी चीमाराम हि. 1/8 राहिन सिंडीकेट बैंक दौलतपुरा राजेश दत्तक पुत्र कालूराम हि. 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास शान्ति देवी पत्नी गुल्ला हि. 1/8 सीता पुत्री गुल्ला 1/8 कौम मीणा सा. देह खातेदार	193 187 188 398/2	0.15 0.03 0.09 0.03		
	किता	4	0.30		

तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय के जूज रहेंगे। अंतिम डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक **02.09.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।